अशोक कुमार और अन्य बनाम जिला आयुक्त-सह- जिला मजिस्ट्रेट

(राकेश कुमार जैन जे)

राकेश कुमार जैन से पहले, जे.

अशोक कुमार और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

जिला आयुक्त-सह- जिला मजिस्ट्रेट

और एक अन्य -प्रतिवादी

2017 का सीडब्ल्यूपी No.16010

25 जुलाई, 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-माता-पिता और विरष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007- धारा 5, 2, 22 और 23-विधवा ने अपने स्वामित्व वाले फ्लैट से बेटे, बहू को बेदखल करने की मांग की — जिला मजिस्ट्रेट ने बेदखली का आदेश दिया -िरट याचिका में कोई हस्तक्षेप नहीं-न्यायाधिकरण रखरखाव और उपहार हस्तांतरण विलेख को अमान्य घोषित करने के लिए खंड 5 के तहत दायर आवेदनों पर विचार कर सकता है-बेदखली से केवल जिला मजिस्ट्रेट ही प्रक्रिया के अनुसार निपट सकते हैं।

यह माना गया कि, याचिकाकर्ताओं के माननीय अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन नं। 2 जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए था जो पूरी तरह से गलत है। अधिनियम की खंड 22 में, विधानमंडल द्वारा "न्यायाधिकरण" के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोई शब्द नहीं है , बल्कि अधिनियम की खंड 23 में "न्यायाधिकरण" शब्द का उपयोग किया गया है जिसमें कहा गया है कि "न्यायाधिकरण द्वारा अमान्य घोषित किया

जाए"।"न्यायाधिकरण" को केवल अधिनियम की खंड 2 (जे) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है अधिनियम की खंड 7 के तहत गठित रखरखाव न्यायाधिकरण।

(पैरा 13)

ने आगे कहा कि , मेरी सुविचारित राय में , अपील न्यायालय अधिनियम की खंड 7 के तहत गठित किया गया है , केवल रखरखाव की मांग के लिए अधिनियम की खंड 5 के तहत दायर आवेदन और एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा उपहार विलेख या संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य घोषित करने की मांग के लिए दायर आवेदन पर विचार कर सकता है , यदि वह व्यक्ति, जिसे संपत्ति हस्तांतरित की गई है , उसे सुविधाएं और अन्य भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार कर देता है , लेकिन जहां तक वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखली की मांग करने के आवेदन का संबंध है , तो इसे केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाना चाहिए और प्रक्रिया के अनुसार , यह आवश्यक नहीं है , जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है , कि जिला मजिस्ट्रेट को उसके अधीनस्थ से आदेश लेना चाहिए , जैसा कि खंड 22 में प्रदान किया गया है। (1) अधिनियम के और फिर मामले पर अपीलीय न्यायालय के रूप में बैठे, बल्कि नियमों के नियम 20 के उप—नियम 3(1) में यह प्रावधान है कि कोई आवेदन जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाता है तो।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

वह उक्त आवेदन को संपित्त के स्वामित्व के सत्यापन के लिए संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट को भेजेगा और यदि यह पाया जाता है कि संपित्ति का स्वामित्व विरष्ठ नागरिक के पास है, तो वह मामले में आगे बढ़ेगा।

ने आगे अभिनिर्धारित किया कि, इस मामले में, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि विचाराधीन संपत्ति वर्तमान याचिकाकर्ताओं की है, बल्कि निष्कर्ष यह है कि यह प्रतिवादी सं की है। 2. केवल तथ्य, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है , कि याचिकाकर्ता न. ने विचाराधीन संपत्ति की खरीद के लिए अपने मृत पिता द्वारा जुटाए गए वित्त में योगदान दिया था जो इस मामले का विषय नहीं है क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता नं। 1 इस संबंध में पहले ही एक दीवानी मुकदमा दायर किया जा चुका है , लेकिन तथ्य यह है कि जिला मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना है कि विचाराधीन संपत्ति का मालिक कौन है और फिर तदनुसार आदेश पारित करना है। इस मामले में , यह पाया गया है याचिकाकर्ता नं 1 की माँ वह विचाराधीन संपत्ति की कि प्रतिवादी नं। मालिक है और उसने दावा किया है कि वह उन याचिकाकर्ताओं के साथ नहीं रहना चाहती है जो उसके दिन -प्रतिदिन के जीवन में उसके साथ द्रव्यवहार और उत्पीड़न कर रहे हैं। उसकी आय् 72 वर्ष है और उसके जीवन के अंतिम चरण में , उसे एक आरामदायक जीवन दिया जाना चाहिए और उसे अपने बच्चों के हाथों परेशान होने की अन्मति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 15)

एन. के. सेतिया और कुणाल सियाग, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए।

राकेश कुमार जैन, जे (मौखिक)

(1) यह याचिका जिला मजिस्ट्रेट, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 01. 06.2017 को पारित आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है , जिसे किथत रूप से माता -िपता और विरष्ठ नागरिक अधिनियम , 2007 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के रखरखाव और कल्याण की खंड 22 के तहत पारित किया गया था , जिसमें याचिकाकर्ताओं को फ्लैट नम्बर

3257/1 चंडीगढ़ (इसके बाद "विचाराधीन संपत्ति" के रूप में संदर्भित) को 15 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस स्टेशन (दक्षिण), यू. टी., चंडीगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त फ्लैट को खाली कराए और उसका भौतिक कब्जा प्रतिवादी नं.2. को सौंप दे।

(2) स्वीकृत रूप से, विचाराधीन संपत्ति का स्वामित्व प्रतिवादी नं .2. के पास है याचिकाकर्ता नं .1 प्रतिवादी नं .2 का पुत्र है। याचिकाकर्ता नं .2 याचिकाकर्ता नं .1 और याचिकाकर्ता नं .3 से 5 तक याचिकाकर्ता नं .1 और 2. के बच्चे है। प्रतिवादी नं .2 एक विधवा महिला है , जिसके पति की 2005 में मृत्यु हो गई थी।

प्रतिवादी नं 2 को अधिनियम की धारा 22 और 23 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमित दी गई है , यह मानते हुए कि विचाराधीन संपित प्रतिवादी नं 2 की है और वह नहीं चाहती कि याचिकाकर्ता उसके साथ अपने दुर्व्यवहार के कारण कब्जे में बने रहें , उन्हें अनिधिकृत कब्जे में घोषित करना बहुत कम है।

(3) याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया है कि जिला मजिस्ट्रेट के पास अधिनियम की खंड 22 के तहत आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि आदेश केवल अधिनियम की खंड 7 के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया जा सकता था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित होने के बाद, अधिनियम की खंड 16 के तहत अधिनियम की खंड 15 के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जाएगी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की खंड 16 को इस न्यायालय द्वारा समझाया गया है , जिसमें कहा गया है कि अपील करने का अधिकार न केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है , बल्कि किसी भी पीड़ित पक्ष के लिए भी है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य को ध्यान में

नहीं रखा है कि विचाराधीन संपत्ति याचिकाकर्ता नं .1, के योगदान से खरीदी गई थी जो अपने पिता को पैसे भेज रहा था जब वह दुबई में काम कर रहा था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने के लिए, कोई अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है और इस तरह, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

- (4) मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी समर्थ सहायता से उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।
- (5) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आवेदन प्रतिवादी नं .2 द्वार अधिनियम की धारा 22 और 23 के तहत दायर किया गया है अधिनियम की धारा 22 और 23 को तैयार संदर्भ के लिए निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"22. ऐसे प्राधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। ----(1) राज्यसरकार

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के प्रावधानों का ठीक से पालन किया जा रहा है, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकता है और ऐसे कर्तव्यों को अधिरोपित कर सकता है जो आवश्यक हो और जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है, जो सभी या किसी भी शक्तियों का प्रयोग करेगा और इस प्रकार प्रदत्त या लगाए गए सभी या किसी भी कर्तव्यों का पालन करेगा और स्थानीय सीमाएं जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का पालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो निर्धारित किया जाए।

(2) राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपितत की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना निर्धारित करेगी। आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

23. संपत्ति का हस्तांतरण कुछ मामलों में शून्य होगा

परिस्थितियाँ।-(1) जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक , जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद , उपहार के रूप में या अन्यथा अपनी संपत्ति का हस्तांतरण किया है, इस शर्त के अधीन कि स्थानान्तरण स्थानान्तरण को ब्नियादी स्विधाएं और ब्नियादी भौतिक आवश्यकताएँ प्रदान करेगा और ऐसा स्थानान्तरण ऐसी सुविधाएँ और भौतिक आवश्यकताएँ प्रदान करने से इनकार करता है या विफल रहता है , संपत्ति का उक्त हस्तांतरण धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अन्चित प्रभाव से किया गया माना जाएगा और स्थानान्तरण के विकल्प पर न्यायाधिकरण द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा। (2) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपत्ति से भरण -पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपत्ति या उसके हिस्से को हस्तांतरित किया जाता है , वहाँ स्थानांतरिती के खिलाफ रखरखाव प्राप्त करने का अधिकार लागू किया जा सकता है यदि स्थानांतरिती को अधिकार की सूचना है , या यदि हस्तांतरण अनावश्यक है; लेकिन स्थानांतरिती के खिलाफ नहीं विचार के लिए और अधिकार की सूचना के बिना।

- (3) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उप -खंड (1) और (2) के तहत अधिकारों को लागू करने में असमर्थ है , तो खंड 5 की उप -खंड (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी भी संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्रवाई की जा सकती है।"
- (6) अधिनियम की खंड 22 (1) के अनुसार, विधानमंडल ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के प्रावधानों का ठीक से पालन किया जा रहा है, जिला मजिस्ट्रेट पर ऐसे कर्तव्यों को लागू करने की शक्ति प्रदान की है, जो आवश्यक हो। खंड 22 (2) में आगे यह प्रावधान है कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना निर्धारित करेगी।

(७) अधिनियम की खंड 2 (डी) "माता-पिता" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है पिता या माँ चाहे जैविक , दत्तक या सौतेले पिता या सौतेली माँ , जैसा भी मामला हो , चाहे पिता या माँ वरिष्ठ नागरिक हों या नहीं।अधिनियम की खंड 2 (एच) "वरिष्ठ नागरिक" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है , जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक हो गई है। "न्यायाधिकरण" को अधिनियम की खंड 2 (जे) के तहत भी परिभाषित किया गया है , जिसका अर्थ है अधिनियम की खंड ७ के तहत भी परिभाषित किया गया है , जिसका अर्थ है अधिनियम की खंड ७ के तहत गठित रखरखाव न्यायाधिकरण।

(8) इस अधिनियम को तीन भागों में विभाजित किया गया है।पहला भाग माता-पिता और विरष्ठ नागरिकों के रखरखाव से संबंधित है।दूसरा भाग विरष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित है , जैसे कि वृद्धाश्रमों की स्थापना और चिकित्सा सहायता आदि और तीसरा भाग माता -पिता और विरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। यदि अशोक क्मार और अन्य बनाम जिला आयुक्त

327

सह- जिला मजिस्ट्रेट

एक विरष्ठ नागरिक द्वारा अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग करने का मामला है, जिन्हें अधिनियम की खंड 2 (ए) के तहत बेट 1, बेटी, पोते और पोती के रूप में पिरभाषित किया गया है , लेकिन इसमें नाबालिग शामिल नहीं है, फिर अधिनियम की खंड 5 के तहत एक आवेदन दायर किया जाना है और उस आवेदन पर अधिनियम की खंड 7 के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाना है। उक्त आवेदन पर अधिनियम की खंड 7 के तहत तरीके से मुकदमा चलाया जाना है और आदेश को अधिनियम की खंड 9 के तहत पारित किया जाना है, जो अधिनियम की खंड 11 के तहत लागू करने योग्य है और यदि कोई न्यायाधिकरण के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह अधिनियम की खंड 15 के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण

के समक्ष अधिनियम की खंड 16 के तहत अपील दायर कर सकता है। यह प्रक्रिया रखरखाव के हिस्से से संबंधित है। (9) अधिनियम के दूसरे भाग में, धारा 19 और 20 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण यानी वृद्धाश्रमों की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा देखभाल से संबंधित हैं। (10) इसके बाद अधिनियम का तीसरा भाग आता है, जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है , जिसमें खंड 21 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार , जागरूकता आदि के उपायों से संबंधित है और खंड 22 राज्य सरकार को जिला मजिस्ट्रेट पर कर्तव्यों को लागू करने की शिक्तयां प्रदान करती है , तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों का उचित रूप से पालन किया जा

रहा है।इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति किसी ऐसे

उक्त स्थानांतरिती उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहा है।

व्यक्ति से वापस लेने का अधिकार दिया गया है , जिसे उसके द्वारा

प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले में यह उपहार में दी गई है , यदि

(11) अधिनियम को व्यवहार्य बनाने के लिए , पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ राज्यों ने आदेशशः पंजाब माता -िपता और विरष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण नियम , 2012, हरियाणा माता -िपता और विरष्ठ नागरिकों का रखरखाव नियम , 2009 और चंडीगढ़ माता -िपता और विरष्ठ नागरिकों का रखरखाव नियम , 2009 बनाए।अधिनियम की खंड 22 (2) एक कार्य योजना का प्रावधान करती है। उक्त कार्य योजना को हरियाणा राज्य द्वारा दिनांक 26.05.2015 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है जिसमें 26.05.2015 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में "माता-िपता और विरष्ठ नागरिक अधिनियम , 2007 के रखरखाव और कल्याण के तहत विरष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्य योजना के रूप में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और इसी तरह पंजाब राज्य ने भी 13.03.2015 को "माता-िपता और विरष्ठ नागरिक अधिनियम , 2007 के रखरखाव और कल्याण के तहत

कार्य योजना " के रूप में पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 27.11.2004 के माध्यम से कार्य योजना को अधिसूचित किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने को अधिसूचित नहीं किया है

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

कोई भी कार्य योजना लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की स्रक्षा स्निश्चित करने के संबंध में चंडीगढ़ माता -पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव नियम, 2009 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) में प्रावधान दिए गए हैं।पंजाब और हरियाणा राज्यों की कार्य योजनाओं में जिला मजिस्ट्रेट और प्लिस अधीक्षक को शक्ति प्रदान की गई है।प्लिस अधीक्षक को वरिष्ठ नागरिकों की स्रक्षा उपायों की देखभाल करनी होती है अर्थात वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य आदि के बारे में सत्यापित करने के लिए पुलिस दल को उनके घर भेजना होता है और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से अनिधकृत कब्जे को हटाने सहित अन्य तरीकों से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करनी होती है।नियमों का नियम 19 जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है और नियम 20 पुलिस अधीक्षक से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्य योजना प्रदान करता है , जो वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपनी सुरक्षा के हित में क्या करें और क्या न करें सहित विभिन्न उपाय करेंगे। नियमों के नियम 20 के उप-नियम 3 (1), 3 (2) और 3 (3) में वरिष्ठ नागरिक /माता-पिता की संपत्ति /आवासीय भवन से बेदखली की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और त्वरित संदर्भ के लिए नीचे दिए गए अनुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः -

"3(1) वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता की संपत्ति /आवासीय भवन से बेदखल करने की प्रक्रिया।--

- (i) विभिन्न विभागों जैसे समाज कल्याण , उप-मंडल मजिस्ट्रेट , पुलिस विभाग, गैर सरकारी संगठनों /सामाजिक कार्यकर्ताओं , विरष्ठ नागरिकों के लिए हेल्प लाइन और स्वयं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विरष्ठ नागरिकों के जीवन और संपित के संबंध में (माता-पिता और विरष्ठ नागरिकों के रखरखाव अधिनियम , 2007 के प्रावधानों के अनुसार) प्राप्त शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट , केंद्र शासित प्रदेश , चंडीगढ़ को भेजा जाएगा।
- (ii) जिला मजिस्ट्रेट, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ऐसी शिकायतो/आवेदनो को प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर राजस्व विभाग /संबंधित तहसीलदारों द्वारा से संपत्ति की टाइल और मामले के तथ्यों के सत्यापन के लिए संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेटों को तुरंत भेज देगा।
 (iii) उप मंडल मजिस्ट्रेट, प्राप्ति की तारीख से 21 दिनों के भीतर अंतिम आदेश के लिए तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
 329

कम-डिस्ट्रिकट मैजिस्ट्रेट (राकेश कुमार जैन, जे.)

शिकायत/आवेदन।

- (iv) यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय है कि कोई बेटा या बेटी या किसी विरष्ठ नागरिक /माता-पिता का कानूनी उत्तराधिकारी माता -पिता और विरष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 में पिरभाषित किसी भी संपत्ति पर अनिधकृत कब्जे में है और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए, तो जिला मजिस्ट्रेट -सह-संपदा अधिकारी इसके बाद दिए गए तरीके से एक लिखित नोटिस जारी करेगा , जिसमें सभी संबंधित व्यक्तियों से कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उनके खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- (v) अधिसूचना में कहा गया है -

- (क) उन आधारों को निर्दिष्ट करें जिनके आधार पर बेदखली का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है; और
- (ख) संबंधित सभी व्यक्तियों से , अर्थात उन सभी व्यक्तियों से , जो संपत्ति/परिसर पर कब्जा कर रहे हैं या हो सकते हैं , या उसमें हित का दावा कर सकते हैं , प्रस्तावित आदेश के खिलाफ ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो सूचना में निर्दिष्ट की गई तारीख से दस दिन से पहले की तारीख नहीं है, कारण, यदि कोई हो, दिखाने की अपेक्षा करता है।
- (ग) जिला मजिस्ट्रेट नोटिस को बाहरी दरवाजे पर या सार्वजनिक परिसर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से में और ऐसे अन्य तरीके से चिपकाएगा जो निर्धारित किया जाए , जिसके बाद यह समझा जाएगा कि नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को विधिवत दिया गया था।
- 3(2) वरिष्ठ नागरिक / माता- पिता की संपत्ति / आवासीय भवन से बेदखल करने का आदेश।--
- (i) यदि, नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दिखाए गए कारण , यदि कोई हो, और उसके समर्थन में कोई साक्ष्य पेश करने के बाद और उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद , जिला मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि संपत्ति /परिसर अनिधकृत कब्जे में हैं , तो जिला मजिस्ट्रेट या विधिवत अधिकृत अन्य अधिकारी उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए बेदखली का आदेश दे सकते हैं , जिसमें निर्देश दिया जाता है कि संपत्ति /आवासीय भवन को उस तारीख को खाली कर दिया जाएगा।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

आदेश में उन सभी व्यक्तियों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जो उस पर या उसके किसी भी हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं , और आदेश की एक प्रति बाहरी दरवाजे या सार्वजनिक परिसर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाई जा सकती है; (ii) जिला मजिस्ट्रेट आदेशों को लागू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों /स्वैच्छिक संगठनों /सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी संबद्ध कर सकता है।

3(3) आदेशों का प्रवर्तन। --

- (i) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश को जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उसका पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो जिला मजिस्ट्रेट या इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत अधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति को संबंधित परिसर से बेदखल कर सकता है और कब्जा ले सकता है।
- (ii) जिला मजिस्ट्रेट, यू. टी., चंडीगढ़ के पास पुलिस विभाग द्वारा बेदखली के आदेशों को लागू करने की शक्तियां होंगी।
- (iii) जिला मजिस्ट्रेट, यू. टी., चंडीगढ़ आगे संबंधित संपत्ति /परिसर संबंधित वरिष्ठ नागरिकों/माता-पिता को सौंप देते हैं।
- (iv) जिला मजिस्ट्रेट, यू. टी., चंडीगढ़ ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट अगले महीने की 7 तारीख तक समाज कल्याण विभाग को माता -िपता और विरष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम , 2007 और सचिव समाज कल्याण, चंडीगढ़ प्रशासन की अध्यक्षता में उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए 2009 के नियमों के तहत गठित राज्य वरिष्ठ नागरिक परिषद में ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए भेजेगा। "
- (12) नियमों के नियम 20 के उप-नियम 3 (1) (iv) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय है कि किसी विरष्ठ नागरिक /माता-पिता का कोई बेटा या बेटी या कानूनी उत्तराधिकारी अधिनियम में पिरिभाषित किसी भी संपितत पर अनिधकृत कब्जे में है और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए, तो जिला मजिस्ट्रेट-सह-संपदा अधिकारी उन्हें

लिखित में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें सभी संबंधित व्यक्तियों से कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उनके खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए। पारित करने की शक्ति पूरी तरह से जिला मजिस्ट्रेट में निहित है -

ऊपर निर्दिष्ट नियमों के नियम 20 का उप-नियम 3 (2) (13) याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन नं। 2 जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए था जो पूरी तरह से गलत है। अधिनियम की खंड 22 में, विधानमंडल द्वारा "न्यायाधिकरण" के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोई शब्द नहीं है , बल्कि अधिनियम की खंड 23 में "न्यायाधिकरण" शब्द का उपयोग किया गया है जिसमें कहा गया है कि "न्यायाधिकरण द्वारा अमान्य घोषित किया जाए "। "न्यायाधिकरण" को केवल अधिनियम की खंड 2 (जे) के तहत परिभाषित किया गया है , जिसका अर्थ है अधिनियम की खंड 7 के तहत गठित रखरखाव न्यायाधिकरण।

(14) मेरी सुविचारित राय में, ट्रिब्यूनल अधिनियम की खंड 7 के तहत गठित किया गया है, केवल रखरखाव की मांग के लिए अधिनियम की खंड 5 के तहत दायर आवेदन और एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा उपहार विलेख या संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य घोषित करने की मांग के लिए दायर आवेदन पर विचार कर सकता है , यदि वह व्यक्ति , जिसे संपत्ति हस्तांतरित की गई है , उसे सुविधाएं और अन्य भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार कर देता है, लेकिन जहां तक वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखली की मांग के आवेदन का संबंध है , तो इसे केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाना चाहिए और प्रक्रिया के अनुसार , यह आवश्यक नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है, कि जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम की खंड 22 (1) में प्रदान किए गए अनुसार उसके अधीनस्थ से आदेश लेना चाहिए।

और फिर मामले पर अपीलीय न्यायालय के रूप में बैंठे बल्कि नियमों के नियम 20 के उप—िनयम 3(1) में यह प्रावधान है कि यदि कोई आवेदन जिला मिजस्ट्रेट को दिया जाता है तो वह सम्पित के स्वामित्व के लिए उक्त आवेदन को सम्बन्धित उपमंढल मिजस्ट्रेट को भेज देगा और यदि यह पाया जाता हैकि सम्पित का शीर्षक वरिष्ट नागरिक के पास है, तो वह मामले में आगे बढ़ेगे।

(15) इस मामले में , ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि विचाराधीन संपत्ति वर्तमान याचिकाकर्ताओं की है , बल्कि यह निष्कर्ष है कि यह प्रतिवादी नं.2 की हैकेवल तथ्य जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता नम्बर 1 ने विचाराधीन संपत्ति की खरीद के लिए अपने मृत पिता द्वारा जुटाए गए वित्त में योगदान दिया था जो इस मामले का विषय नहीं है क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता नं। इस संबंध में पहले ही एक दीवानी मुकदमा दायर किया जा चुका है लेकिन तथ्य यह है कि जिला मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना है कि विचाराधीन संपत्ति का मालिक कौन है और फिर तदनुसार आदेश पारित करना है। इस मामले में . यह पाया गया है कि प्रतिवादी नं 2 याचिकाकर्ता नम्बर 1 की माँ वह विचाराधीन संपत्ति की मालिक है और उसने दावा किया है कि वह उन याचिकाकर्ताओं के साथ नहीं रहना चाहती है जो उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में उसके साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न कर रहे हैं।उनकी आयु 72 वर्ष है और जीवन के अंतिम चरण में उनकी आयु 332 वर्ष होनी चाहिए।

(16) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए , मेरी सुविचारित राय में , जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को किसी भी योग्यता से वंचित किए जाने के कारण खारिज कर दिया जाता है , जो कि बिना लागत के पारित किश जाता है।

शुभरीतकौर

अस्वीकरण— स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयों का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।